बूंदी जिला न्यायालय ने याचिकाकर्ता बैंकों पर 1.87 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया

- न्यायाधीश दिनेश कुमार गुप्ता ने बैंकों द्वारा नियुक्त ऑर्बिटेटर द्वारा एक पक्ष को सुनने के बाद दिये गये अवॉर्ड को लागू कराने के लिये दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह जुर्माना लगाया है
- अदालत के समक्ष इस मामले में 748 याचिकाएं अवॉर्ड को क्रियान्वित कराने के लिये प्रस्तुत की गई थी
- इस प्रथा के खिलाफ हाल ही में जयपुर स्थित कॉमर्शियल कोर्ट में कार्यरत न्यायाधीश रणधीर सिंह मिर्धा ने भी गलत ठहराया था और कहा था कि ऑर्बिटेटर को दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही अवॉर्ड जारी करना चाहिये।

जयपुर, (का.सं.)। बैंकों और लोन लेने वाले व्यवसायिओं के बीच विवाद के बाद बैंकों द्वारा ही नियुक्त मध्यस्थ (ऑर्बिटेटर) के बैंकों द्वारा ही प्रस्तुत तथ्यों को सुनकर अवॉर्ड दिये जाने की प्रथा खिलाफ बूंदी जिला न्यायालय ने एक कड़ा आदेश पारित किया है।

बूंदी जिला न्यायालय के न्यायाधीश दिनेश कुमार गुप्ता ने बैंकों द्वारा नियुक्त एकमात्र (सोल) ऑर्बिटेटर द्वारा दिये गये अवॉर्ड को लागू कराने के लिये दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आवेदन करने वाले बैंकों पर प्रति याचिका 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। गौरतलब है कि बूंदी जिला अदालत के समक्ष 748 याचिकाएं अवॉर्ड को क्रियान्वित कराने के लिये प्रस्तुत की गई थी, यानी इस मामले में जुर्माने की कुल राशि एक करोड़ 87 लाख की है जिसे बैंकों को 30 दिन में चैक के माध्यम से राजस्थान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के नामजद अकाउंट में जमा कराना हैं।

इस मामले में बैंकों की तरफ से करीब 17 अधिवक्ता अदालत में पेश हुए थे जबकि जिन व्यवसायिओं के खिलाफ अवॉर्ड दिये गये थे उनकी तरफ से कोई अधिवक्ता पैरवी के लिये पेश नहीं हुआ क्योंकि उनके पक्ष को सुने बगैर ही ऑर्बिटेटर ने उनके खिलाफ अवॉर्ड जारी कर दिया था। इन व्यवसायिओं के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही करने की इस प्रथा के खिलाफ अदालत ने कठोर टिप्पणियां करते हुए जुर्माना लगाया।

दरअसल ज्यादातर बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान लोन देने के बाद विवादों से निपटने के लिये 'सोल ऑर्बिटेटर' (एकमात्र ऑर्बिटेटर) की नियुक्ति करते हैं। इस मध्यस्थता की सुनवाई की कार्यवाही उसी शहर में होती है जहां बैंक या गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान का मुख्यालय पंजीकृत होता है। अर्थात ऐसी परिस्थितियां आम होती हैं जहां लोन लेने वाला व्यवसायी किसी अन्य शहर या प्रदेश में रहता हो और बैंक का मुख्यालय किसी अन्य शहर या प्रदेश में स्थित हो। ऐसे में कई बार देखा गया है कि ऑर्बिटेटर विवाद का जल्द निपटारा करने के लिये बैंक द्वारा तथ्यों को सुनकर एक पक्षीय कार्यवाही करती हैं। परंतु इन ऑर्बिटेटर द्वारा दिये गये अवॉर्ड को क्रियान्वित कराने के लिये बैंकों को लोन लेन वाले व्यवसायी के जिला न्यायालय में याचिका दायर करनी होती है।

सुप्रीम कोर्ट इस प्रथा, की आर्बिटेटर को दोनो पक्षों की सहमति के बगैर नियुक्त किया जाये या आर्बिटेटर केवल एक ही पक्ष को सुनकर अवॉर्ड दे, दोनों को ही गैर कानूनी करार दे चुका है। परंतु बैंकिंग और वित्तीय सेक्टर में इसका अभी भी प्रचलन है क्योंकि बैंक लोन देते समय व्यवसायिओं से अपनी शर्त मनवा लेते हैं।

इस प्रथा के खिलाफ हाल ही में जयपुर स्थित कॉमर्शियल कोर्ट में कार्यरत न्यायाधीश रणधीर सिंह मिर्धा ने भी गलत ठहराया था और कहा था कि ऑर्बिटेटर को दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही अवॉर्ड जारी करना चाहिये। अब बूंदी जिला न्यायालय ने न्यायाधीश रणधीश सिंह मिर्धा से मिसाल लेते हुए दूसरा ऐसा निर्णय दिया है।

'तहसीलदार की रिपोर्ट के बावजूद 20 साल में भी क्यों नहीं हटाया कब्जा?'

- हाईकोर्ट ने अलवर यूआईटी सचिव को नोटिस जारी किया

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने अलवर के यूआईटी सचिव को नोटिस जारी कर पूछा है कि तहसीलदार की ओर से आम रास्ते पर अतिक्रमण होने की रिपोर्ट देने के बावजूद भी 20 साल में अतिक्रमण क्यों नहीं हटाया गया। सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश डॉ. अंबेडकर जन कल्याणकारी एवं विकास समिति, अलवर की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता राम अवतार ने अदालत को बताया कि अलवर के दाउदपुर से तलेडा जाने वाली साठ फीट चौड़ी रोड पर कई सालों से अतिक्रमण हो रखा है। आम दिनों में राहगीर पास के खाली खेत का उपयोग कर चले जाते हैं, लेकिन फसल खड़ी होने के दौरान अतिक्रमण के चलते रास्ता केवल पांच फीट का ही रह जाता है। जिसके चलते बड़ा चौपहिया वाहन भी वहां से नहीं गुजर सकता। अतिक्रमण के चलते एम्बुलेंस सहित अन्य दूसरे वाहनों को खासी परेशानी उठानी पड़ती है। याचिका में बताया गया कि तत्कालीन तहसीलदार ने जांच कर यहां प्रभावशाली व्यक्ति के फार्म हाउस के कारण सड़क पर अतिक्रमण होना बताया था।

तहसीलदार ने 16 मार्च, 2004 को यूआईटी को कार्रवाई के लिए पत्र भी लिखा था। इसके बावजूद अब तक मौके से अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। स्थानीय निवासी अब तक कई बार स्थानीय प्रशासन को अतिक्रमण हटाने के लिए शिकायत कर चुके हैं। वहीं अतिक्रमण हटाने के लिए कई बार आंदोलन तक किया जा चुका है, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया गया। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने यूआईटी सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

नाम परिवर्तन

मेरे पति के आर्मी नं. 15773881L रैंक-HAV (GNR) नाम- BISHAN है। यह कि मेरे पुत्र के आर्मी सर्विस रिकॉर्ड में मेरा नाम BIRVATI DEVI दर्ज है जो कि गलत है। जबकि भविष्य में मुझे मेरे सही व वास्तविक नाम BIRWATI से जाना जाये।

नाम परिवर्तन

मेरे पति के आर्मी नं. 6498990H रैंक-NK नाम- JITENDRA KUMAR है। यह कि मेरे पति के आर्मी सर्विस रिकॉर्ड में मेरा नाम SARDA दर्ज है जो कि गलत है। जबकि भविष्य में मुझे मेरे सही व वास्तविक नाम SARDA DEVI से जाना जाये।

आम सूचना

मेरी मां श्रीमती गलकू देवी पत्नी श्री प्रेमचंद जाति धोबी निवासी माहेश्वरी कॉलोनी सिटी रोड, मदनगंज-किशनगढ़ का स्वर्गवास दिनांक 26 जनवरी, 2020 को हो चुका है, जिनका मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिये तहसीलदार कार्यालय किशनगढ़ में आवेदन किया है। इस संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई एतराज या आपत्ति हो तो मय दस्तावेज 7 दिवस में तहसीलदार कार्यालय किशनगढ़ में संपर्क करे।
प्रार्थी- गोपाल प्रसाद पुत्र प्रेमचंद धोबी माहेश्वरी कॉलोनी मदनगंज-किशनगढ़

क्षेत्रीय निदेशक, उत्तर क्षेत्र
कम्पनी मामलों का मंत्रालय, बी-2 विंग,
दूसरी मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स,
नई दिल्ली-110003, के समक्ष ।
कम्पनी अधिनियम, 2013 धारा 13 की उप धारा (4) और कम्पनी (निगमन) नियम-2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खण्ड (क) के मामले में ।
एवं
मै. एम एल आर फूड्स प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड
(CIN: U15200RJ2016PTC049266)
जिसका पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट नं -798-799, लमाना, पिशान्गन, अजमेर, राजस्थान- 305202 में है, के मामले में ।
........(याचिकाकर्ता)
एवं
मै. एम एल आर फूड्स प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड के मामले में ।

आम जनता को यह सूचित किया जाता है कि यह कम्पनी क्षेत्रीय निदेशक, उत्तर क्षेत्र के समक्ष कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती है जिसमें कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को राजस्थान राज्य से हटाकर उत्तर प्रदेश राज्य में स्थानांतरित करने के लिये सोमवार दिनांक 12 फरवरी, 2024 को आयोजित असाधारण आम सभा में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कम्पनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है।

कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्रारूप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लेखित हो, के साथ अपनी आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तर क्षेत्र, एमसीए , बी-2 विंग, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110003 पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकते हैं या सुपुर्द कर सकते हैं और इसकी प्रति आवेदक कम्पनी को उसके उपरोक्त पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजें।

आवेदक की ओर से और उसके लिये
मै. एम एल आर फूड्स प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता/-
गोपाल सिंह
निदेशक
दिनांक: 03.04.2024
स्थान : राजस्थान
DIN: 07463096

'प्रत्याशियों को करवाना होगा विज्ञापनों का अधिप्रमाणन'

जिला स्तरीय एमसीएमसी प्रकोष्ठ के प्रभारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम) सुरेश कुमार नवल ने बुधवार को कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय एमसीएमसी कमेटी की राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक ली।

जयपुर, (का.सं.)। 'भारत निर्वाचन आयोग के आदेशों की अनुपालना में प्रत्येक प्रत्याशी को अपने प्रचार-प्रसार के विज्ञापनों का जिला स्तरीय एमसीएमसी प्रकोष्ठ से अधिप्रमाणन करवाना आवश्यक है' यह कहना है जिला स्तरीय एमसीएमसी प्रकोष्ठ के प्रभारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) सुरेश कुमार नवल का। नवल ने यह बात बुधवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित जिला स्तरीय एमसीएमसी कमेटी की राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए कही।

नवल ने कहा कि चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद प्रत्येक राजनैतिक दल के प्रत्याशियों एवं अन्य सभी प्रत्याशियों को चुनावी विज्ञापन का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी चैनल्स, रेडियो एफएम चैनल्स, सिनेमाघरों में प्रसारित किये जाने वाले विज्ञापन, बल्क एसएमएस, ऑडियो अथवा वीडियो संदेश सहित ई-पेपर में दिये जाने वाले विज्ञापनों का भी प्रकाशन एवं प्रसारण से पूर्व कमेटी द्वारा अधिप्रमाणन प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

एमसीएमसी प्रकोष्ठ प्रभारी की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में प्रमुख राजनैतिक दलों के अधिकृत प्रतिनिधियों को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर गठित एमसीएमसी कमेटी की कार्यप्रणाली एवं निर्धारित विज्ञापन अधिप्रमाणन नियमों की जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि मतदान दिवस एवं मतदान दिवस के एक दिन पूर्व समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों के लिए अधिप्रमाणन हेतु 48 घंटे पूर्व आवेदन करना होगा। उन्होंने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को विज्ञापन अधिप्रमाणन की प्रक्रिया, प्रारूप एवं नियमों की विस्तृत जानकारी से रूबरू करवाया एवं अधिप्रमाणन ने संबंधित सवालों का भी निस्तारण किया।

खान विभाग में मॉनिटरिंग व्यवस्था होगी चाक चौबंद

जयपुर, (का.सं.)। राज्य के माइंस विभाग द्वारा एक्सप्लोरेशन, ड्रिलिंग, ऑक्शन के लिए ब्लॉक व प्लॉट तैयार करने, ऑक्शन कलेण्डर बनाने, आरसीसी, ईआरसीसी सहित राज्य सरकार के रेवेन्यू कलेक्शन आदि का रोडमेप तैयार कर क्रियान्विति की दैनिक मोनेटरिंग व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। खान सचिव आनन्दी ने आज निदेशक माइंस श्री भगवती प्रसाद कलाल के साथ खान व भूविज्ञान विभाग के सभी फील्ड अधिकारियों से वर्चुअली रुबरु हुई।उन्होंने कहा कि एक अप्रेल से आंरभ वित्तीय वर्ष में सभी संबंधित क्षेत्रों के लक्ष्य निर्धारित करते हुए क्रियान्विति के साथ ही वित वर्ष के पहले दिन से ही लक्ष्यों की क्रियान्विति की मोनेटरिंग व्यवस्था को चाक चोबंद किया गया है।

उन्होंने विभाग की विजिलेंस व्यवस्था को भी मजबूत करने के निर्देश देते हुए कहा कि अवैध खनन सहित किसी भी तरह के लीकेज को रोकना हमारा दायित्व है और इसमें किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने आदर्श आचार संहिता की सख्ती से पालना के निर्देश दिए। खान सचिव आनन्दी ने इस साल हम एक्सप्लोरेशन से लेकर, ड्रिलिंग, बड़े पैमाने पर ऑक्शन का काम हाथ में लेने जा रहे हैं जिससे प्रदेश में उपलब्ध खनिज संपदा के अवैध खनन पर रोक लग सके, वैज्ञानिक व वैध खनन को बढ़ावा दिया जा सके और प्रदेश को माइनिंग क्षेत्र सेअधिक से अधिक रेवेन्यू अर्जित हो सके। उन्होंने कहा कि सरकार को देय रेवेन्यू राशि संग्रहण की नियमित व्यवस्था हो ताकि साल के अंतिम दिनों में वसूली के लिए अधिक प्रयास नहीं करने पड़ै। उन्होंने अधिकारियों से फील्ड में रहने और आपसी सहयोगव समन्वय से कार्य करते हुए प्रदेश के माइनिंग क्षेत्र को समूचे देख में अग्रणी बनानेका कार्य करना होगा। उन्होंने लक्ष्यानुसार अच्छा राजस्व अर्जन करने वाले कार्यालयों व अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि विपरीत परिस्थितियों केबावजूद राजस्व संग्रहण के अच्छे प्रयास किए गए हैं। निदेशक माइंस भगवती प्रसाद कलाल ने कहा कि विभागीय मोनेटरिंग व्यवस्था को मजबूत बनाया जाएगा। जहां पर आरसीसी, ईआरसीसीके ठेके अभी तक किसी कारण से नहीं हो पायें हैं वहां इस तरह की व्यवस्था करनी होगी जिससे सरकारी राजस्व की चोरी ना हो सके।

अक्षय पात्र फाउंडेशन ने संयुक्त राष्ट्र में मनाया उत्सव

जयपुर, (का.सं.)। मानव कल्याण और समाज सेवा के क्षेत्र में अक्षय पात्र फाउंडेशन पिछले 23 सालों से लगातार अहम् भूमिका निभा रहा है, अपने इसी निस्वार्थ सेवा भाव के लिए यह फाउंडेशन देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जानी जाती है। इस संस्था का मकसद यह है कि देश में कोई भी गरीब बच्चा भूख की वजह से अपनी पढ़ाई नहीं छोड़े, अपने इसी लक्ष्य की पूर्ति के सफ़र में अक्षय पात्र ने हाल ही में पूरी दुनिया में विशेष उपलब्धि हासिल की है।

यह ऐतिहासिक उपलब्धि है चार अरब थाली परोसने की जिसका उत्सव हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक विशेष कार्यक्रम खाद्य सुरक्षा में उपलब्धि: सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में भारत की प्रगति का आयोजन किया। इस आयोजन में भारतीय सामाजिक संगठन अक्षय पात्र फाउंडेशन के अध्यक्ष मधु पंडित दास, इंफोसिस के संस्थापक सदस्य एनआर नारायणमूर्ति और नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी भी शामिल हुए। इस खास मौके पर भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अक्षय पात्र फाउंडेशन के लिए बधाई सन्देश भेजा, उन्होंने कहा कि उन्हें अक्षय पात्र फाउंडेशन की पूरी टीम पर गर्व और बेहद खुशी महसूस हो रही है। पीएम मोदी ने चार अरब थाली परोसने को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। हरे कृष्ण मूवमेंट जयपुर के अध्यक्ष अमितासन दास ने इस उपलब्धि पर आभार प्रकट करते हुए कहा कि हमें गर्व है कि यह संस्था अपने मकसद में कामयाब हुई है।

मोदी 5 अप्रेल को चुरू आएंगे

जयपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 5 अप्रैल को चुरू में विशाल "विजय शंखनाद सभा" को संबोधित करेंगे। भाजपा के प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने बताया कि शुक्रवार को पीएम मोदी सुबह 9:15 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद हैलीकॉप्टर से चुरू के लिए रवाना होंगे और पुलिस लाइन मैदान में सुबह 10:10 बजे विजय शंखनाद रैली को संबोधित करेंगे। इस दौरान भाजपा के नेता एवं पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। इसके बाद तय कार्यक्रम के अनुसार पीएम मोदी सभा स्थल से सुबह 11:15 बजे जयपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे।

युवक के सिर में बल्ले से वार कर हत्या की

जयपुर। करणी विहार थाना इलाके में देर रात शराब पीकर उत्पात मचा रहे युवक की इंस्पेक्टर के बेटे ने बल्ले से सिर पर वार कर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी युवक फरार हो गया था, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में मृतक पार्क के पास से गुजरता नजर आ रहा है। इसके बाद आरोपी ने उस पर बल्ले से हमला कर दिया। फुटेज में हमले के दौरान आरोपी के पिता भी नजर आ रहे है। इसके बाद घायल को कार में डालकर ले जाते नजर आ रहे है।

पुलिस के अनुसार जगदम्बा नगर निवासी 35 वर्षीय मोहन लाल पुत्र मुन्ना लाल रजनी विहार में सब्जी का ठेला लगाता है। मोहन नशे का भी आदी बताया जा रहा है। मंगलवार देर रात करीब साढ़े 10 बजे वह शराब पीकर रजनी विहार में पार्क के सामने उत्पात मचा रहा था। इस पर मोहन के पास में रहने वाले क्षितिज शर्मा से कहासुनी हो गई। कहासुनी के बाद क्षितिज अपने मकान में गया और वहां से बल्ला लेकर आया और मोहन पर सिर और शरीर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। इससे मोहन लाल गंभीर रुप से घायल हो गया। घटना के दौरान आरोपी का पिता भी घटना स्थल पर मौजूद था। हमले के बाद आरोपी के परिजनों ने घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। घटना के सम्बंध में कामिनी पत्नी मुन्ना लाल ने मामला दर्ज करवाया है।

चिकित्सा शिक्षा आयुक्त की अध्यक्षता में गठित पांच सदस्यीय कमेटी करेगी जांच

मानव अंग प्रत्यारोपण की फर्जी एन.ओ.सी. मामला

जयपुर, (का.सं.)। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर प्रदेश में मानव अंग प्रत्यारोपण की फर्जी एनओसी मामले एवं निजी अस्पताल में अंग प्रत्यारोपण प्रकरण के संबंध में जांच के लिए चिकित्सा शिक्षा आयुक्त की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी गठित की है। यह समिति 15 दिवस ने जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा, शुभ्रा सिंह ने बताया कि चिकित्सा शिक्षा आयुक्त की अध्यक्षता में गठित इस उच्च स्तरीय कमेटी में रजिस्ट्रार राजस्थान मेडिकल कौंसिल, मानव अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण के प्राधिकृत अधिकारी, वरिष्ठ विधि परामर्शी तथा शासन उप सचिव चिकित्सा शिक्षा को सदस्य एवं नोडल अधिकारी-एनओटीपी को सदस्य सचिव के रूप में नामित किया गया है। यह समिति अंग प्रत्यारोण की फर्जी एनओसी प्रकरण, निर्धारित प्रावधानों के तहत मानव अंग प्रत्यारोपण के लिए पंजीकृत सभी निजी अस्पतालों के संबंध में निदेशक जनस्वास्थ्य द्वारा गठित निरीक्षण दलों के माध्यम से प्राप्त सत्यापित रिकॉर्ड की विस्तृत जांच करेगी। इसके साथ ही राज्य स्तरीय अधिप्रमाणन समिति की कार्य प्रणाली का परीक्षण कर लाइव ट्रांसप्लांट की मॉनिटरिंग के लिए एसओपी तैयार करने एवं एनओसी प्रक्रिया का विस्तृत अध्ययन कर आवश्यक सुझाव भी प्रस्तुत करेगी। उल्लेखनीय है कि अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शुभ्रा सिंह ने स्व प्रसंज्ञान लेते हुए मानव अंग प्रत्यारोपण की फर्जी एनओसी एवं निजी अस्पताल में अंग प्रत्यारोपण प्रकरण के संबंध में जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर 15 दिवस में रिपोर्ट सौपने के निर्देश दिए थे।

राहटकर आज भीलवाड़ा दौरे पर

जयपुर। भाजपा प्रदेश सह-प्रभारी विजया राहटकर भीलवाड़ा लोकसभा प्रत्याशी एवं भाजपा प्रदेश महामंत्री दामोदर अग्रवाल की नामांकन सभा को संबोधित करेंगी।

भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने बताया कि भाजपा प्रदेश सह-प्रभारी विजया राहटकर कल सुबह 9:30 बजे भीलवाड़ा के आजाद चौक पर होने वाली विशाल नामांकन सभा को संबोधित करेंगी। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी कल दोपहर 12:30 बजे राजसमंद लोकसभा प्रत्याशी महिमा विश्वेश्वर सिंह की नामांकन सभा को संबोधित करेंगे।

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

मूल आवंटी/अन्तरिति की मृत्यु पर उत्तराधिकारियों द्वारा निष्पादित पंजीकृत हक त्याग पत्र के आधार पर नामान्तरण हेतु आम सूचना का प्रारूप

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण की बी के कॉल नगर योजना के आवासीय भूखण्ड संख्या 43 क्षेत्रफल 252 वर्गमीटर आवंटी/अन्तरिति सुमति प्रकाश गोधा पुत्र स्व. माणक चंद गोधा निवासी 43 बीके कॉल नगर अजमेर की मृत्यु दिनांक 30/12/2013 को होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र व सजरा रिपोर्ट संलग्न कर मृतक के वारिसों क्रमशः (1) श्रीमती सरोज गोधा पत्नि सुमति प्रकाश गोधा (अजमेर) (2) श्रीमती सुनीता विनायका पुत्री स्व. सुमति प्रकाश गोधा पत्नि सुरेन्द्र कुमार विनायका (निम्बाहेड़ा) (3) श्रीमती सारिका सोगानी पुत्री स्व. सुमति प्रकाश गोधा पत्नि संदीप सोगानी (जयपुर) (4) सुश्री ईशिता जैन गोधा पुत्री स्व. संजय गोधा (अजमेर) (5) श्रीमती सीमा गोधा पत्नि स्व. संजय गोधा (अजमेर) (6) ईशान जैन गोधा पुत्र स्व. संजय गोधा निवासी 43 बाल कृष्ण कॉल नगर अजमेर द्वारा अपने सहहिस्सेदार (1) श्रीमती सीमा गोधा पत्नि स्व. संजय गोधा (2) ईशान जैन गोधा पुत्र स्व. संजय गोधा निवासी 43 बाल कृष्ण कॉल नगर अजमेर पक्ष में निष्पादित पंजीकृत हक त्याग पत्र दिनांक 6/6/23 के आधार पर नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है उक्त नामान्तरण किये जाने के संबंध में किसी को आपति हो तो सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर आपति प्राधिकरण कार्यालय में दर्ज करावे उक्त नियत अवधि पश्चात कोई आपति स्वीकार योग्य नहीं होगी व आवेदको के नाम नामान्तरण की कार्यवाही की जा सकेगी। योजना प्रभारी अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर

कार्यालय नगर निगम, अजमेर

न.नि.अ/भवन/23-24 /1357 दिनांक: 22/03/2024

आपति सूचना

गौरव मेडिकोज जरिये पार्टनर्स 1. श्री सागर मल पुत्र श्री उगम चन्द निवासी 44 महावीर कॉलोनी पुष्कर रोड, अजमेर 2. श्री मुकेशकुमार जैन पुत्र श्री माणकचन्द जैन निवासी 273 अम्बे विहार कॉलोनी बी.के. कौल नगर अजमेर 3. श्री नवीन सिंघवी पुत्र श्री चाँदमल सिंघवी निवासी 44 महावीर कॉलोनी पुष्कर रोड अजमेर एवं 4 श्री गौरव जैन पुत्र श्री चाँदमल सिंघवी निवासी बस्सी मौहल्ला पीसांगन जिला अजमेर - द्वारा एक निजी भूखण्ड संख्या 04 जो कि ए.एम.सी. संख्या 796/30 = 312/23 का पश्चिमी भाग है जो वाके मयूर मार्केट के सामने एच.पी. प्लाजा के पास रसाला बावडी अजमेर में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 113.04 वर्गमीटर है भूमि के आवासीय से व्यावसायिक वर्तमान मास्टर प्लान 2033 के अनुसार व्यावसायिक मानचित्र स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। प्रस्तावित भू-भाग की सीमाएं निम्नानसार है।
पूर्व - ए.एम.सी. न. 796/30 312/23 का पश्चिम भाग — पश्चिम - 20 फुट चौड़ा रास्ता
उत्तर - अन्य की सम्पति — दक्षिण - उपरोक्त नम्बरी का सम्पति का भाग निजी भूखण्ड संख्या 03
अतः जरिए इस सूचना के पूर्व सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति/संस्था को इस संबंध में कोई आपति हो तो इस सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर-अन्दर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में ठोस दस्तावेजों सहित अपनी आपति प्रस्तुत कर सकता है। बाद मियाद किसी भी आपति पर विचार नहीं किया जायेगा। उपायुक्त नगर निगम, अजमेर

कार्यालय नगर निगम, अजमेर

न.नि.अ/भवन/23-24 /1358 दिनांक: 22/03/2024

आपति सूचना

M/S ORCHID LIEF SCINCE जरिये मालिक श्रीमती मोनिका मून्दडा पत्नी श्री लक्ष्मीकान्त मून्दडा निवासी 939 बी.के. कौल नगर अजमेर द्वारा एक निजी भूखण्ड संख्या 03 जो कि ए.एम.सी. संख्या 796/30 = 312/23 का दक्षिणी पश्चिमी भाग है जो वाके मयूर मार्केट के सामने एच.पी. प्लाजा के पास रसाला बावडी अजमेर में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 112.83 वर्गमीटर है भूमि के आवासीय से व्यावसायिक वर्तमान मास्टर प्लान 2033 के अनुसार व्यावसायिक मानचित्र स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।प्रस्तावित भू-भाग की सीमाएं निम्नानसार है।
पूर्व - इसी सम्पति का अन्य भाग — पश्चिम - आम रास्ता 20 फुट चौड़ा
उत्तर - इसी सम्पति का निजी भूखण्ड संख्या 04 एवं एच.पी. प्लाजा — दक्षिण - होटल नागपाल
अतः जरिए इस सूचना के पूर्व सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति/संस्था को इस संबंध में कोई आपति हो तो इस सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर-अन्दर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में ठोस दस्तावेजों सहित अपनी आपति प्रस्तुत कर सकता है। बाद मियाद किसी भी आपति पर विचार नहीं किया जायेगा। उपायुक्त नगर निगम, अजमेर

कार्यालय आवासीय अभियन्ता राजस्थान आवासन मण्डलः अजमेर

क्रमांकः 03 दिनांकः 01-04-24

जाहिर आम सूचना

राजस्थान आवासन मण्डल आवास संख्या 3/51 पंचशील अजमेर योजना में श्री हरिकेश मीणा पुत्र श्री लक्ष्मण मीणा को आवंटित कर दिनांक-07.03.2001 को मकान का भौतिक कब्जा सौंपा गया था। श्री हरिकेश मीणा पुत्र श्री लक्ष्मण मीणा द्वारा दिनांक 30.03.2001 को उप-पंजीयक कार्यालय द्वारा पंजीयन करवा लिया गया हैं। श्री हरिकेश मीणा पुत्र श्री लक्ष्मण मीणा ने आवास का बैचान श्री अतुल माथुर पुत्र श्री जगदम्बा प्रसाद जी माथुर एवम् श्री अभिनव माथुर पुत्र श्री अतुल माथुर को दिनांक 02.06.2023 को कर दिया गया। श्री अतुल माथुर की मृत्यु दिनांक 16.08.2023 को हो जाने के कारण उनके पुत्र श्री अभिनव माथुर पुत्र स्व. श्री अतुल माथुर द्वारा मृत्यु पश्चात् आवास हस्तान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। श्रीमती सुहानी माथुर पुत्री स्व. श्री अतुल माथुर ने अपने हिस्से का मुख्तयारनामा खास अपनी माता श्रीमती सुमन माथुर पत्नी स्व. श्री अतुल माथुर के पक्ष में निष्पादित किया गया। श्री अभिनव माथुर पुत्र स्व. श्री अतुल माथुर के पक्ष में श्रीमती सुमन माथुर पत्नी स्व. श्री अतुल माथुर द्वारा स्वंय एवं बहेसियत मुख्तयारनामा खास श्रीमती सुहानी माथुर पुत्री स्व. श्री अतुल माथुर द्वारा रजिस्टर्ड हक त्याग-पत्र प्रस्तुत किया गया है। अब श्री अभिनव माथुर पुत्र स्व. श्री अतुल माथुर ने उक्त आवास से संबंधित मृत्यु हस्तान्तरण प्रपत्र प्रस्तुत कर आवास का आवंटन स्वंय के नाम हस्तांतरण करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। श्री अभिनव माथुर पुत्र स्व. श्री अतुल माथुर का नाम मण्डल रिकार्ड में प्रतिस्थापन की कार्यवाही विचाराधीन है। अतः उक्त कार्यवाही से किसी भी व्यक्ति को कोई आपति हो तो इस जाहिर आम सूचना की विज्ञप्ति के प्रकाशन के 10 दिवस में अपनी उजरदारी / आपति मय सबूत एवं पहचान के दस्तावेज के साथ इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। बाद मियाद गुजरने पश्चात कोई आपति स्वीकार नहीं होगी, नाम प्रतिस्थापन की अग्रिम कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। आवासीय अभियंता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड अजमेर

प्राधिकृत अधिकारी कार्यालय नगर परिषद, ब्यावर

क्रमांक/नियमन/2023-24/04 दिनांक 03/04/2024

लोक सूचना

निम्नांकित खातेदारों ने इस कार्यालय में निचे उल्लेखित भूमि का गैर कृर्षिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	ग्राम	खसरा नं.	क्षेत्रफल हैक्टेयर में
1	1. अनवर काठात पुत्र आलम काठात हिस्सा 1/2 जालिया प्रथम जाति मेरात सा. देह खातेदार। 2. संदीप कुमार बागडी पुत्र लेखराज हिस्सा 1/2 जाति माली निवासी 300/2 लोहाखान सीनियर सेकेन्डरी स्कूल के सामने पुलिस लाइन अजमेर खातेदार।	जालिया प्रथम	772	0.4128 हेक्टेयर

इसलिए इसके द्वारा समस्त सम्बन्धित व्यक्तियो की सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा के निर्वापन कोई आक्षेप है तो, वह इस नोटिस के 7 दिन के भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजो के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपयुक्त नियत समय के भीतर.-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है व तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधिन आज दिनांक 03/04/2024 को जारी की गई। प्राधिकृत अधिकारी नगर परिषद ब्यावर

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से ओटीएस स्थित मुख्यमंत्री निवास पर बुधवार को पिंकसिटी प्रेस क्लब की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान प्रेस क्लब के नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉ. वीरेन्द्र सिंह राठौड़ (बिल्लू बना), महासचिव योगेन्द्र शर्मा पंचौली, उपाध्यक्ष विमल सिंह तंवर, राहुल भारद्वाज, कोषाध्यक्ष गिरिराज प्रसाद गुर्जर, कार्यकारिणी सदस्य डॉ. मोनिका शर्मा, पुष्पेन्द्र सिंह राजावत, अनिता शर्मा, सिद्धार्थ उपाध्याय, नमोनारायण अवस्थी, शालिनी श्रीवास्तव एवं उमंग माथुर उपस्थित रहे। इस अवसर पर नवनिर्वाचित कार्यकारिणी ने मुख्यमंत्री को पौधा भेंट किया।

अवैध हथियारों के साथ दो बदमाश गिरफ्तार

रामनगरिया पुलिस ने बुधवार को अवैध हथियारों के साथ दो बदमाशों को गिरफ्तार किया।

जयपुर। पुलिस कमिश्नरेट की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन एक्शन अगेंस्ट गन (आग) के तहत रामनगरिया पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध हथियारों सहित दो बदमाशों को पकड़ा है और उनके पास से दो देशी पिस्टल, एक देशी कट्टा और 17 जिंदा कारतूस जब्त किया गया है। गिरफ्तार आरोपित आमजन में भय कारित करने के लिए हथियारों के साथ सोशल मीडिया पर फोटो वायरल करते है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।

पुलिस उपायुक्त जयपुर पूर्व कावेन्द्र सिंह सागर ने बताया कि रामनगरिया थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध हथियारों सहित सुनील कुमार मीना निवासी कुडगांव जिला करौली और लव कुमार मीना उर्फ चीकू शीलपुरा निवासी शीलपुरा जिला करौली को थाना इलाके में स्थित वीआईटी कॉलेज रोड से गिरफ्तार किया है और उनके पास से दो देशी पिस्टल, एक देशी कट्टा और 17 जिंदा कारतूस जब्त किया है। गिरफ्तार आरोपित आदतन अपराधी है और जिनके खिलाफ करौली जिले में कई थानों में मामले दर्ज है। इसके अलावा आरोपित अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए अवैध हथियारों के साथ सोशल मीडिया पर फोटो-वीडियो वायरल कर आमजन में भव्य व्याप्त करते है।

आठ शराब माफिया पुलिस के हत्थे चढ़े

जयपुर। पुलिस कमिश्नरेट की स्पेशल टीम ने एक महिला सहित आठ शराब माफियाओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने मौके से 693 देशी शराब के पव्वे, 74 अंग्रेजी शराब के पव्वे, 18 बीयर, 26 कैन सहित 7330 बिक्री राशि बरामद की है।पुलिस कमिश्नर बीजू जार्ज जोसेफ ने बताया गलता गेट में नरेश कुमार उर्फ़ वीरू, आदर्श नगर साजिश खान, खोह-नागोरियान में भंवर लाल, शिवदासपुरा में लेखराज मीना, चित्रकूट में अभिषेक सांसी, ट्रांसपोर्ट नगर में रोहित शर्मा और प्रताप नगर में राजवंती को गिरफ्तार किया है। वहीं, शिवदासपुरा में कार्रवाई की भनक लगने पर आरोपियों फोरन्ती मालावत फरार हो गई, जिसकी तलाश जारी है। पुलिस टीम ने मौके से 693 देशी शराब के पव्वे, 74 अंग्रेजी शराब के पव्वे, 18 बीयर, 26 कैन सहित 7330 बिक्री राशि बरामद की है। पुलिस आरोपियों से नेटवर्क को लेकर पूछताछ कर रही है।